न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

एस.सी. सं0–17/2023

राज्य बनाम विकास आदि

मु0अ0सं0 138/2018

अन्तर्गत धारा 398, 401 भा0दं0सं0

थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं सुश्री निधि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर आप अभियुक्तगण विकास व ललित को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करती हूँ :–

प्रथमः यह कि दिनांक 22.08.2018 को समय 01:00 बजे स्थान सर्विस रोड पंडित के भट्टे के पास चकरोड अन्तर्गत थाना क्षेत्र बड़गांव जिला सहारनपुर में आप अभियुक्तगण पुलिस थाना बड़गांव, सहारनपुर द्वारा चोरी/लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है जो धारा 398 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर आप अभियुक्तगण पुलिस थाना बड़गांव, सहारनपुर द्वारा चोरी/लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गये। इस प्रकार आप उक्त चोरों की टोली के सदस्य थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है जो धारा 401 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपों की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाक–22.09.2023

(सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनाक–22.09.2023

(सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।